



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्य ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 02/2024/परीक्षा/दिनांक 21/10/2024 रोजगार एवं नियोजन में प्रकाशन की तिथि: 30/10/2024

:: विज्ञापन ::

सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर [गृह (पुलिस) विभाग] के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/10/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः प्राथमिक होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों की जांच की जाएगी।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23/10/2024 को मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 21/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 22/11/2024 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 24/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार नि:शुल्क होगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा नि:शुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा न गया हो तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य दिनांक 25/11/2024 को मध्याह्न 12:00 बजे से 27/11/2024 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वमेव निरस्त माना जाएगा, इस संबंध में विस्तृत सूचना दिनांक 03.07.2023 को जारी की गई थी, जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(1) छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स.क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद				योग	वैतनमान
		अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.ना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	सूबेदार	8	2	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
2	उप निरीक्षक	117	33	89	39	35	9	26	11	11	3	8	3	5	1	4	1	278	
3	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	5	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
4	प्लाटून कमाण्डर	6	1	4	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
5	उप निरीक्षक (अभ्युक्त चिन्ह)	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
6	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
8	उप निरीक्षक (सागबर काईंग)	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
कुल योग																		341	

वैतन मॉड्यूल लेवल 8

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए की जाने वाली चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होंगी।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित रीति से, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों, महिला तथा भूतपूर्व

सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण के अनुसार चिन्हांकन/चयन की कार्यवाही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :-

- विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग-पत्र में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
 3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
 4. परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक, पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट-तीन में उल्लेखित है।
 5. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण, अनुपयुक्त या गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
- (2) पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य :-
- (i) पद का नाम :- सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर
 - (ii) सेवा श्रेणी :- अराजपत्रित (तृतीय कार्यपालिक)
 - (iii) वेतन मैट्रिक्स :- वेतन मैट्रिक्स लेवल-08
इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
 - (iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं:-
1. सूबेदार/उप निरीक्षक/उप निरीक्षक (विशेष शाखा) एवं प्लाटून कमाण्डर पद - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि।
 2. उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) एवं उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज) पद- शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
 3. उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) पद- शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए)/बीएससी (कम्प्यूटर) में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष।
- (v) शारीरिक अर्हताएं:-
 - (क) ऊँचाई - 168 से.मी. या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिये) 153 से.मी. या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)
 - (ख) सीना - बिना फुलाये 81 से.मी., फुलाने पर 86 से.मी. का अन्तर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। (महिला अभ्यर्थी, इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी।)
 - (ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए।
 - (घ) अभ्यर्थी में नॉक-नी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नॉक-नी एवं फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदण्ड समस्त पदों के लिये अनिवार्य होंगी। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 तथा दूसरी आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी, सक्षम होना चाहिए।
- (3) परिवीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- महत्वपूर्ण नोट:-**
- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का "प्रमाण-पत्र" प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
 - (4) निर्धारित आयु सीमा:-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-3/2024/दो-गृह/रापुरे दिनांक 30.09.2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-

- (i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, किन्तु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-
- (क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।
- (ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
- (ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणाम-स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:-शब्द "छटनी किये गये सरकारी सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिससे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवानुवृत्त किया गया हो।
- (घ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरण:- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात:-
(छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-2/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 12/03/2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किए गए आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।)
- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें-
(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन की शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवानुवृत्त कर दिया गया हो;
- (तीन) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक।
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी

होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अत्यावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(इ) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव गांधी सम्मान, गुण्डाधर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा, 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई सेवा के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अधधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप—(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें भर्ती नियम 8 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ग) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(दो) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016/1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप—

(a) छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-3/2024/दो-गृह/रापुसे दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष (सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी) का शिथिलीकरण करते हुए निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं

होगी।

(b) आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनु.जति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक) का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगा।

(c) आयु की गणना दिनांक — 01.01.2024 के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें।** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

(6) **प्रारंभिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना—**

प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थियों के लिए जारी किए गए ऑनलाइन दस्तावेजों (उपस्थिति पत्रक, जानकारी पत्रक, व्यक्तिगत विवरण, अनुप्रमाण फार्म इत्यादि जो भी लागू हों) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। (अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे)

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूचियाँ।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र अर्हता प्राप्ति संबंधी विधिवत सूचना पत्र की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र/सूचना पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया गया है। उक्त तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे।

(iv) **जाति प्रमाण पत्र :-**

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता हो तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित (आयु/आरक्षण) लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) **छ.ग. के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय होगा।** जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के पुत्र/पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी जिस

हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नती संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता-पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षों से विलग हैं तो उस स्थिति में उन्हें माता-पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(d) यदि निर्धारित उच्चतर आय सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका - 4(ii) (क),(ख),(ग),(घ),(ज),(झ) के अंतर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(iii) विज्ञापन की कंडिका - 4(ii) (ङ) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आय सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।

(iv) विज्ञापन की कंडिका - 4(ii) (च) के अंतर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिये जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

(v) विज्ञापन की कंडिका - 4(ii) (छ) के अंतर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव गांधी पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) विज्ञापन की कंडिका - 4(iv) के अंतर्गत उच्चतर आय सीमा में छूट के लिए "सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव" का प्रमाण-पत्र।

(vii) विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह की तिथि के प्रमाण स्वरूप विवाह प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र।

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति

निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन :-

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो या

(ii) पररूप धारण (इम्पर्सोनेशन) किया हो या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या

(vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या

(viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या

(ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा और

टीप:- यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हता:- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा

करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरुद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2023)

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (10) **चयन प्रक्रिया :-** चयन प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी परिशिष्ट एक परीक्षा योजना में अंकित है।

- (i) उम्मीदवार का चयन परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

- (ii) परीक्षा योजना परिशिष्ट-एक तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में प्रकाशित है।

- (iii) परीक्षा हेतु निम्न परीक्षा केन्द्र होंगे -

(A) **प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र :-**

कोड	परीक्षा केन्द्र का जिला
01	सरगुजा (अंबिकापुर)
02	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
03	बिलासपुर
04	धमतरी
05	दुर्ग
06	दंतेवाड़ा
07	बस्तर (जगदलपुर)
08	जांजगीर-चांपा
09	जशपुर
10	कवर्धा
11	उत्तर बस्तर कांकर
12	कोरबा
13	महासमुन्द
14	रायपुर
15	रायगढ़
16	राजनांदगांव
17	बलीदाबाजार-भाटापारा
18	बलरामपुर-रामानुजगंज
19	सूरजपुर
20	गरियाबंद
21	नारायणपुर

22	कोण्डागांव
23	बीजापुर
24	सुकमा
25	बेमेतरा
26	बालोद
27	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
28	मुंगेली
29	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
30	मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
31	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
32	सक्ती
33	सारंगढ़-बिलाईगढ़

(B) **शारीरिक माप का मान परीक्षा/शारीरिक दक्षता**

परीक्षा का जिला :-

कोड	परीक्षा केन्द्र का जिला
01	सरगुजा (अम्बिकापुर)
02	बिलासपुर
03	दुर्ग
04	बस्तर (जगदलपुर)
05	रायपुर
06	राजनांदगांव

(C) **मुख्य परीक्षा का जिला :-**

कोड	परीक्षा केन्द्र का जिला
01	सरगुजा (अम्बिकापुर)
02	बिलासपुर
03	दुर्ग
04	बस्तर (जगदलपुर)
05	रायपुर

- (iv) ऑनलाईन आवेदनों की संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्र घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं।

(11) **ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-**

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाईन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

- (12) **ऑनलाईन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को कुछ निर्धारित प्रविष्टियों संबंधी त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।**

- (i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा।
(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।
(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर मिलान किया जाएगा।
(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।

(13) **परीक्षा के संबंध में:-**

- (i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर

विकल्प वृत्तिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की वृत्ति की शिकायत करता है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयवधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी।

(14) अत्यन्त महत्वपूर्ण :-

(i) छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(15) यात्रा व्यय का भुगतान :-

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी का पूर्णतः बेरोजगार अभ्यर्थी हो को छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र/आयोग द्वारा किया जाएगा।

यात्रा व्यय का भुगतान केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को किया जाना है :-

1) जिनके पास आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक हो जिसमें उनकी बेसिक जानकारी प्रिंट की हुई हो।

2) जो किसी शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में न हों तथा उन्हें अन्य किसी स्रोत से कोई आय न हो रही हो।

नोट:-आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी यात्रा व्यय देयक रखने से कोई अभ्यर्थी यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा, आयोग उक्त समस्त तथ्यों की जाँच कर व तथ्यों के संबंध में आश्वस्त होने पर ही यात्रा व्यय स्वीकृत करेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा। गृह जिले को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केन्द्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केन्द्र तक यात्रा भत्ता देय होगा।

(16) किसी भी लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तियों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

(17) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

(18) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

(19) विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/-

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-एक
“परीक्षा योजना”

चयन प्रक्रिया:— चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(एक) शारीरिक माप का मान — अभ्यर्थी का शारीरिक परीक्षण विज्ञापन की कण्डिका 2 (v) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणी — शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। **अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी।**

(दो) प्रारंभिक लिखित परीक्षा — उपरोक्तानुसार योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की कम्प्यूटराइज्ड (ओ.एम.आर. आधारित) वैकल्पिक प्रकार की प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो 300 अंकों की होगी तथा समय दो घंटे का होगा। इस परीक्षा में मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। अन्तिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा भले ही अभ्यर्थियों की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती हो।

(तीन) ओ.एम.आर. आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा (प्रथम चरण की लिखित परीक्षा):—

(क) हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता — यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। हिन्दी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन — यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि तीन घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

(ग) एप्टीट्यूड टेस्ट — यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

(घ) विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन) परीक्षा — यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)/ (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।

(ङ) कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा — यह परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिन अभ्यर्थियों ने उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो।

(चार) पृथक चयन सूचियां — प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तियों को जोड़कर पृथक से सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक (विशेष शाखा), प्लाटून कमाण्डर की एक, उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह)/ (प्रश्नाधीन दस्तावेज) की एक तथा उप निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप निरीक्षक (सायबर क्राईम) की एक, कुल तीन पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जाएगी जिसमें से विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम अभ्यर्थी जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा वे सभी

अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा भले ही अभ्यर्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो।

(पांच) शारीरिक दक्षता परीक्षा (द्वितीय चरण) — शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान आवेदक का शारीरिक नापजोख विज्ञापन की कण्डिका 2 (v) के अनुसार (आखों की दृष्टि एवं आंखों से संबंधित अन्य जांच को छोड़कर) किया जाएगा तथा अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र, केवल शारीरिक नापजोख परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। यदि इस विषय में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो जिला चिकित्सा मण्डल का निर्णय अंतिम होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी और इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धायें सम्मिलित होगी:—

(क)	लम्बी कूद	60 अंक
(ख)	ऊंची कूद	60 अंक
(ग)	गोला फेंक	60 अंक
(घ)	100 मीटर दौड़	60 अंक
(ङ)	1500 मीटर दौड़	60 अंक

उप-निरीक्षक (कम्प्यूटर), उप-निरीक्षक (सायबर क्राईम) के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालीफाईंग स्वरूप का होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिये जायेंगे।

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30 प्रतिशत अंक अर्जित किये हो अर्थात् इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इसी स्तर पर अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और उनका साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(छ) साक्षात्कार (द्वितीय चरण) — साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार के पूर्व ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदित पदों की अग्रमान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई अग्रमान्यता तथा आवेदित पद हेतु अर्हता के आधार पर उनके अंतिम चयन की प्रक्रिया की जाएगी।

(सात) बोनस अंक — 10

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण्यता

(केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी)

(आठ) समेकित मेरिट सूची:— अंतिम चयन समेकित मेरिट सूची से किया जाएगा। समेकित मेरिट सूची, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा तथा द्वितीय चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तियों के योग तथा आयु के घटते क्रम में तैयार की जाएगी।

(नौ) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम — विभागीय भर्ती नियम एवं विज्ञापन में दर्शित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त शेष प्रक्रियाओं हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रक्रिया नियम की कण्डिकाएं लागू होंगी।

नोट:— शारीरिक माप का मान परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन गृह (पुलिस) विभाग द्वारा किया जाएगा।

(1)
परिशिष्ट-दो
"पाठ्यक्रम"

सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर हेतु
प्रारंभिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम
(कुल प्रश्न-100, कुल अंक-300, समय-2 घण्टे)

(1) सामान्य अध्ययन

कुल प्रश्न 35, कुल अंक 105

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन ।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था ।
4. भारत की अर्थव्यवस्था ।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति ।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल ।
8. पर्यावरण ।

(2) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

कुल प्रश्न 25, कुल अंक 75

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान ।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र ।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियां ।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार ।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस ।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज ।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन ।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं ।
9. नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी ।

(3) कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी

कुल प्रश्न 05, कुल अंक 15

कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी ।

(4) सामान्य मानसिक योग्यता

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता आदि । इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं— विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक गणितीय संक्रियाएं चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि—आदि ।

(5) सामान्य गणित

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

दाशमिक प्रणाली —

मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप ।

संख्याएं —

पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्याएं आरोही व अवरोही क्रम स्थानीयमान ।

साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न—

भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना ।

वर्गमूल —

वर्गमूल निकालने की विधियां — गुणनखण्ड व भाग विधि दशमलव वाले अंको का वर्गमूल निकालना ।

औसत —

औसत निकालने से संबंधित प्रश्न ।

प्रतिशत —

प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने से संबंधित प्रश्न ।

चाल, समय, दूरी —

चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न ।

• सामान्य ब्याज —

साधारण ब्याज क्या है ? इससे संबंधित प्रश्न ।

• लाभ तथा हानि —

क्रय—विक्रय मूल्य, लाभ—हानि, इन्हें प्रतिशत व रूपयों में व्यक्त करना ।

• अनुपात एवं समानुपात —

समानुपाती भागों में विभाजन

• प्रतिशतता —

जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, हास ।

• रेखा तथा कोण —

रेखाखण्ड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार ।

• समतलीय आकृतियां —

त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त ।

• दिशा ज्ञान की सामान्य जानकारी ।

(6) सामान्य हिन्दी

कुल प्रश्न 10, कुल अंक 30

• स्वर, व्यंजन, वर्तनी

• लिंग, वचन, काल

• संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग

• समास—रचना एवं प्रकार

• संधि—स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि

• व्याकरणिक अशुद्धियां

• शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज

• पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द

• मुहावरे व लोकोक्तियां

(7) सामान्य अंग्रेजी

कुल प्रश्न 05, कुल अंक 15

Number, Gender, Articles

Pronoun, Adjectives, Verb

Use of some important Conjunctions

Use of some important Prepositions

मुख्य लिखित परीक्षा

विषय: हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा
(कुल अंक-200, समय-2 घण्टे)

विषय:- हिन्दी

अंक-125

हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषायें, हिन्दी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिन्दी लोकोक्तियों एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियों एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिये शब्द निर्माण, रस, छन्द, अलंकार, हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएँ, वाक्य भेद (रचना एवं अर्थ के आधार पर), शब्द युग्म, **काव्य बोध** — काव्य की परिभाषा — भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य)

अपठित बोध —

- गद्यांश से संबंधित प्रश्न
- पद्यांश से संबंधित प्रश्न

Subject:- English

अंक-75

Tenses, Modals, Articles, Voices, Narration, Prepositions, Clauses, Unseen Passage (Related Questions)

विषय: सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन
(कुल अंक-200, समय-3 घण्टे)

उम्मीदवारों को विषयों की सामान्य समझ होनी चाहिये जैसा कि किसी भी विशेष अध्ययन के बिना एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित है। पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

1. सामान्य विज्ञान — भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान अर्थात् आविष्कार और खोजें। वैज्ञानिकों और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, ईलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, आनुवंशिकी, पशु, पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तत्त्व और यौगिक, एसिड, बेस और लवण और सम्बद्ध विषय, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय।

2. प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास।

3. आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास।

4. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत —

भारत का एकीकरण — जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर का विलय। भारत-पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, राज्यों का पुनर्गठन। जनगणना, भूदान आंदोलन, भारत की अंतरिक्ष में भूमिका, ISRO, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, भारत का न्यूक्लियर कार्यक्रम, योजना आयोग/नीति आयोग।

5. भूगोल — भारत के क्षेत्र, मानसून और जलवायु, फसलें, भारतीय शहर और स्थान, प्रमुख बंदरगाह, खनिज, उद्योग,

बिजली संयंत्र, वन और वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, भारत में जनसंख्या विवरण और अन्य संबंधित विषय।

6. अर्थशास्त्र — भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, मूल्य नीति, मुद्रास्फीति, जनसंख्या और गैर-रोजगार, समस्याएँ, आयात और निर्यात, पंचवर्षीय योजना, आर्थिक संगठन भारत एवं विश्व और संबंधित विषय।

7. भारतीय राजनीति — भारतीय संविधान, नागरिकता, चुनाव, संसद और राज्य विधायिकाएँ, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केन्द्र-राज्य संबंध, विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय।

8. सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स — विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, भारतीय कला और संस्कृति, खेल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें और लेखक, भारत और उसके पड़ोसी देश, वर्तमान भारत और अन्य संबंधित विषय।

9. छत्तीसगढ़ का राजनैतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन।

10. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोकनृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद।

11. स्वतंत्रता के पश्चात् छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक-समग्र विकास

12. छत्तीसगढ़ का भूगोल— नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल।

13. छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य।

14. छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान।

15. सामाजिक उत्तरदायित्व —

- मानव अधिकार
- यातायात के नियम
- राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे
- प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन
- वन्यजीव संरक्षण

विषय : ऐप्टीट्यूड टेस्ट
(कुल अंक-200, समय-2 घण्टे)

1. सादृश्य (Analogy)

शब्दार्थ और आलंकारिक सादृश्य, अक्षर और संख्या प्रतीकात्मक/संख्या, छवियाँ और अर्थ-आधारित

2. कोडिंग/डिकोडिंग

अक्षर स्थानांतरण द्वारा कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्य और शब्दों द्वारा कोडिंग

3. वर्गीकरण (Classification)

शब्दार्थ और आलंकारिक वर्गीकरण/प्रतीकात्मक।

4. श्रृंखला (Series)

सामान्य ज्ञान के आधार पर शब्दार्थ, आलंकारिक, संख्या और मिश्रित श्रृंखला और श्रृंखला

5. ऑर्डर रैंकिंग

दिये गये आंकड़ों से क्रम और रैंकिंग का क्रम पूछा जायेगा।

6. दिशा और दूरी

नेटवर्क, मार्ग और यात्रा की गयी दूरी के आधार पर समस्याएँ पूछी जाती हैं।

7. अनुपलब्ध संख्याएँ

संख्याएँ और वर्णमाला—आधारित आव्यूह और आरेख

8. वर्णमाला या शब्द परीक्षण

अनुक्रम और शब्द निर्माण, मैट्रिक्स, अव्यवस्थित शब्द, प्रत्यय आदि।

9. वेन डायग्राम

वेन डायग्राम, तार्किक (लॉजिक), सिलोगिजम आदि।

10. पहेली

डबल लाइन—अप व्यवस्था, परिपत्र व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, रेखिक व्यवस्था आदि।

11. डेटा पर्याप्तता

घन और डाइस, अंकगणितीय संचालन आदि

12. गैर-मौखिक तर्क

पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स और डाइस, गिनती के आंकड़े आदि।

13. मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल

संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, औसत (माध्य, मोड, माध्यिका), लाभ और हानि।

14. क्वांटिटेटिव ऐप्टीट्यूड

सरल और यौगिक, समय और काम, मेंसुरेशन, गति, समय और दूरी, समीकरण।

15. तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क

कैलेण्डर, रिश्तों की समस्याएँ, लाईन ग्राफ, पाईचार्ट

छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)
एवं उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम
विषय: भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं गणित
(कुल अंक—200)

PHYSICS

- 1- Measurements and units
- 2- Dimensions and area
- 3- Scalar quantities and elements
- 4- Waves and oscillations
- 5- Electrostatics and magnetism
- 6- Motions and friction
- 7- Current electricity and electromagnetic waves
- 8- Work, power and energy

- 9- Optics
- 10- Atoms and nuclei
- 11- Fluids and solids, rigid bodies
- 12- Electronics
- 13- Thermodynamics
- 14- Kinetic theory of gases
- 15- Gravitation
- 16- Kinematics
- 17- Thermal properties
- 18- Dual nature of matters
- 19- Communications

CHEMISTRY

- 1- Structure of Atoms and molecules
- 2- Solutions and elements
- 3- Equilibrium
- 4- Hydrocarbons
- 5- Electrochemistry
- 6- State of matters-solid gases and liquids
- 7- Alcohols, phenols ethers, ketones and carboxylic acid
- 8- Organic compounds
- 9- Halogens and aldehydes
- 10- Surface chemistry
- 11- Carbohydrates-dyes, Polymers and Bio-molecules
- 12- Transition elements
- 13- Nucleic acid, Amino acid and proteins
- 14- Quantum chemistry
- 15- Catalysis of organometallic compound

MATHS

- 1- Relations and functions.
- 2- Trigonometry.
- 3- Matrices.
- 4- Determinants
- 5- Continuity and differentiability.
- 6- Application of derivatives.
- 7- Integrals.
- 8- Differential equation.
- 9- Vector algebra.
- 10- Three dimensional geometry.
- 11- Linear programming.
- 12- Probability.
- 13- Sets.
- 14- Rotation and function.
- 15- Complex number and quadratic equation.
- 16- Limits and derivatives.
- 17- Statics.
- 18- Straight line.
- 19- Sequences and series.

20- Permutation and combination.

(1)

छत्तीसगढ़ पुलिस उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप
निरीक्षक (साईबर क्राईम) परीक्षा हेतु
पाठ्यक्रम
विषय : कम्प्यूटर विज्ञान
(कुल अंक-200)

1. History and Development of computers
2. Memory and its types
3. Fundamental knowledge of windows
4. Linux, Unix
5. Concept of file system, MS Office
6. Fundamentals of world wide web, internet, e-mail and social media
7. Basics of encryption
8. Digital Signature and Hash Value
9. Networking (LAN, MAN, WAN) Topology
10. GSM/CDMA/4G/5G Communication
11. Dark Net and Crypto currency
12. Virus, Anti-Virus and Malware
13. Cyber crimes and Cyber security
14. Cyber Forensics
15. Quantum Computing basics
16. Artificial Intelligence (AI)
17. Internet of Things (IOT)
18. Cloud Computing

--00--

परिशिष्ट-तीन
“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. एवं पहचान पत्र आई.डी. नम्बर इत्यादि की प्रविष्टि कर Generate OTP बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी को उसको द्वारा प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त हुए One Time Password (OTP) की प्रविष्टि हेतु दो टेक्स्ट बॉक्स प्राप्त होंगे जिनमें सही OTP प्रविष्टि करने पर अभ्यर्थी को अपना फोटो कैप्चर करने हेतु प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर पर एक लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यम से मोबाइल कैमरा की मदद से Open Camera बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा कैप्चर किए हुए फोटो में उसका चेहरा स्पष्ट हो, दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों तथा आंखें खुली हुई हो। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दिवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग (Light Colour) का हो। अभ्यर्थी यह प्रयास करें कि कैप्चर किया हुआ चेहरा कैप्चर स्क्रीन के लगभग 80 प्रतिशत भाग पर आए। यदि अभ्यर्थी कैप्चर किए हुए फोटो को बदलना चाहे तो Re Capture बटन का प्रयोग कर वे ऐसा कर सकते हैं। पर्याप्त बड़े तथा स्पष्ट चेहरे युक्त फोटो को कैप्चर करने के पश्चात् Verify & Upload बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी लाइव फोटो अपलोड कर सकता है।

फोटो अपलोड करने के पश्चात् अभ्यर्थी Upload Signature को क्लिक कर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड को नहीं।

- (2). फोटो एवं हस्ताक्षर सफलता पूर्वक अपलोड करने के पश्चात् Save बटन को क्लिक करने पर अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध CG Police (Subedar, Sub Inspector Cadre, Platoon Commander) 2024 से संबंधित Apply बटन को क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उक्त प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रविष्टि किए गए ई-मेल आई.डी. पर लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होंगे जिनकी मदद से अभ्यर्थी भविष्य में कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां कर लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को पोर्टल शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पोर्टल शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की पावती पर Application Status के सामने Submitted दर्शित हो रहा हो

तथा Payment Status के सामने Paid दर्शित हो रहा हो, ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी का आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (3). अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नंबर व ई-मेल आई.डी. पर दी जा सकती है।
- (4). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (5). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य उपलब्ध माध्यम से कर सकते हैं।
- (6). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में दी गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (7). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक मनीमांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit करें तथा पोर्टल शुल्क जमा करें।
- (8). ऑनलाइन आवेदन Submit करने तथा पोर्टल शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु आयोग को प्रेषित अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार व सशुल्क त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। सशुल्क त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (10). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार व/या सशुल्क त्रुटि सुधार की अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (11). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
- (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित पोर्टल शुल्क + जीएसटी

शुल्क देय होगा।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार तथा सशुल्क त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाईन आवेदन की प्रति तथा पोर्टल शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि पोर्टल शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएँ। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैंफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई या अन्य किसी भी उपलब्ध माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जीव कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/आकमर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूल/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिंडस/एस सी, एस टी, ओ बी सी प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अक्षय हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षण/परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

